न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, रामपुर
उपस्थितः– **डॉ० विजय कुमार** (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O.Code.UP2413)
सत्र परीक्षण सं०–44/2023
रजि० सं०–610/2023

उत्तर प्रदेश राज्य ---------अभियोजन पक्ष

बनाम

अजय कुमार पुत्र श्री छिद्दन निवासी मौहल्ला भरतपुर, कस्बा दढियाल थाना टांडा जिला रामपुर।

---------अभियुक्त
मु०अ०सं०–211/2022
धारा–60(1)आब०अधि० एवं
272 भा०दं०सं०
थाना–टांडा, रामपुर

श्री अमित कुमार, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) **अभियोजन पक्ष**

<u>निर्णय</u>

1. अभियुक्त **अजय कुमार** के विरूद्ध थाना टांडा जिला रामपुर की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०–211/2022 में धारा–60(1) आबकारी अधिनियम एवं 272 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 25.04.2022 को मैं उ0नि0 सतीश कुमार मय हमराही कां0 145 महेश पाल व कां0 709 सौरभ कुमार के, मय सरकारी वाहन सं0 UP22G 0259 बोलेरो के थाना हाजा से रपट सं0 66 समय 17:41 बजे पर रवाना होकर देखरेख शान्ति व्यवस्था, चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति व तलाश वारण्टी चौकी क्षेत्र दढ़ियाल में मामूर था। जब मैं उ0नि0 मय हमराही गण के गश्त करता हुआ दढ़ियाल से काशीपुर रोड पर बने पेट्रोल पम्प के पास पहुँचा तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति पेट्रोल पम्प के पीछे करवला के मैदान में किनारे लगे पेड़ के नीचे शराब में कुछ मिला रहा है, जिसे वह बेचने के लिए ले जाने वाला है। इस सूचना पर मुझ उ0नि0 द्वारा रास्ते से व पेट्रोल पम्प पर कार्य करने वाले लोगों से मकसद

बताकर बतौर गवाह साथ चलने को कहा तो कोई भी व्यक्ति साथ चलने को तैयार नहीं हुआ और बुराई–भलाई का वास्ता देकर बिना नाम–पता बताये चले गये। तब मजबूरीवश मुझ उ0नि0 द्वारा हमराही गण व अपनी जामा तलाशी एक–दूसरे को ले–देकर यह विश्वास किया कि सूचना से सम्बन्धित कोई वस्तु किसी के पास नहीं है। तब मैं उ0नि0 मय हमराही गण व मुखबिर के सरकारी गाड़ी को पेट्रोल पम्प के पास खड़ी करके मुखबिर द्वारा बताये रास्ते पर पैदल आगे बढ़े। कुछ दूर चलकर मुखबिर ने इशारा करके बताया कि करवला मैदान के किनारे खेत में जो बड़ा सा पेड़ खड़ा है, उसके नीचे जो व्यक्ति बैठा है वही शराब में मिलावट कर रहा है, बताकर मुखबिर एक तरफ चला गया। तब हम पुलिस वालों ने इस व्यक्ति को दबे पांव इसके पास जाकर घेर–घोट कर समय 18:25 बजे पकड़ लिया। पकड़े गये इस व्यक्ति से इसका नाम–पता पूछा तो इसने अपना नाम अजय कुमार पुत्र छिद्दन निवासी मौ0 भरतपुर कस्बा दढ़ियाल थाना टांडा उम्र 37 वर्ष जनपद रामपुर बताया। तलाशी से इसके कब्जे से एक जीते प्लास्टिक की केन भरी हुई, एक पॉलिथीन में यूरिया व एक प्लास्टिक की पोटकी बरामद हुई। प्लास्टिक की केन में तरल पदार्थ भरा है, जिसको मैंने स्वयं सूंघा व हमराही कर्म0गण को सूंघाया तो इसमें कच्ची शराब की बू आ रही है। पकड़े गये इस व्यक्ति से कच्ची शराब व यूरिया के सम्बन्ध में पूछा गया तो इसने बताया कि इस केन में 25 लीटर देशी शराब है, जिसे मैं उत्तराखण्ड सीमा से एक व्यक्ति से खरीद कर लाया हूँ। मैं इसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए इसमें यूरिया मिला रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। साहब, मुझसे गलती हो गयी, माफ कर दो। तत्पश्चात मुझ उ0नि0 द्वारा कां0 सौरभ को एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू की व्यवस्था करने को कहा तो कां0 सौरभ द्वारा एक तराजू की व्यवस्था की गयी, जिस पर अभियुक्त से बरामद यूरिया को तोला गया तो वह 1.400 कि0ग्रा0 निकला। अभियुक्त को इसके जुर्म धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों का पूर्णतया पालन किया गया। अभियुक्त से बरामद शराब की केन से एक लीटर शराब एक बोतल में बतौर नमूना निकाल कर केन के ढक्कन को बंद करके एक कपड़े से मुंह को बांध कर सील सर्वे मोहर किया तथा केन पर चिट बंदी की गयी। बरामद यूरिया में से 100 ग्राम यूरिया बतौर नमूना निकाल कर एक प्लास्टिक की पॉलिथीन में रखकर एक कपड़े में सिल कर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर तैयार किया गया।

3. फर्द बरामदगी के आधार पर थाना टांडा में मु०अ०सं० 211/2022 धारा–60 आबकारी अधिनियम एवं 272 भा०दं०सं० के अन्तर्गत

अभियुक्त अजय कुमार के विरूद्ध दिनांक 25.04.2022 को समय 22.35 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी।

4. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना साक्षीगण के बयान लिये गये, नक्शा नजरी बनाया गया तथा समस्त विवेचना के उपरान्त अभियुक्त अजय कुमार के विरूद्ध धारा–60 आबकारी अधिनियम एवं 272 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. अवर न्यायालय के सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 16.02.2023 द्वारा मुकदमा माननीय सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया तथा स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

6. तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 16.05.2023 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा–272 भा०दं०सं० एवं 60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया और अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

7. इस स्तर पर अभियुक्त द्वारा एक संस्वीकृति प्रार्थना पत्र इस आशय का न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि वह उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त है। अभियुक्त उक्त मुकदमे में दिनांक 26.02.2026 निरूद्ध है तथा पूर्व में भी जेल में निरूद्ध रह चुका है। वह स्वयं अपनी स्वेच्छा से जुर्म स्वीकारता है। वह जेल में बितायी अवधि पर जुर्म स्वीकार के आधार पर निस्तारण करना चाहता है। उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

8. इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त का बयान अंकित किया गया, जिसमें उसने कथित घटना को आंशिक रूप से कारित करना स्वीकार किया तथा स्वेच्छापूर्वक संस्वीकृति करना स्वीकारा। इस न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी अभियुक्त से पूछा गया कि उसके द्वारा की गयी संस्वीकृति के पीछे कोई लालच अथवा दबाब तो नहीं है तो उसने इंकार किया।

9. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

10. अभियुक्त द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उससे जो शराब की बरामदगी दर्शायी गयी है, वह उसके निजी प्रयोग के लिये थी, उसमें कोई जहरीला पदार्थ का मिश्रण नहीं था।

11. अभियुक्त द्वारा कथित अपमिश्रित द्रव किस व्यक्ति को बेचा जा रहा था, यह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से साबित नहीं होता है।

12. उल्लेखनींय है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं संस्वीकृति का गहनता से अवलोकन करने से यह सिद्ध होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 272 भा०दं०सं० के अवयव साबित नहीं होते हैं, जिससे अभियुक्त के विरूद्ध

धारा–272 भा०दं०सं० के अन्तर्गत लगाया गया आरोप साबित नहीं हो सका है।

13. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अभियुक्त की स्वेच्छात्मक संस्वीकृति के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा–60(1) आबकारी अधिनियम को साबित करने में सफल रहा है तथा धारा–272 भा०दं०सं० के अन्तर्गत लगाये गये आरोप को साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त **अजय कुमार** धारा–60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है एवं धारा–272 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **अजय कुमार** को धारा–60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है तथा धारा–272 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जेल से जेरे हिरासत न्यायालय में उपस्थित है। उसे दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिये पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांकः 21.05.2026

(डॉ० विजय कुमार)
(J.O.Code.UP2413)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 2,रामपुर

<u>**21–05–2026,**</u>

दोषसिद्ध को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। दोषसिद्ध की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मुकदमे की पैरवी करने हेतु घर में कोई नहीं है, वह गरीब व्यक्ति है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वह भविष्य में ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा। अतः उसके साथ नरमी का व्यवहार किया जाये तथा कम से कम सजा से दण्डित किया जाये।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अधिकतम सजा की याचना की गयी है।

मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, बरामद माल की मात्रा, स्वेच्छापूर्वक की गयी संस्वीकृति, उम्र एवं जिम्मेदारी को दृष्टिगत रखते हुये इस न्यायालय का यह मत है कि दोषसिद्ध **अजय कुमार** को धारा–60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराध के लिये **जेल में बितायी गयी अवधि** एवं **अंकन 500/–(पांच सौ रूपये) रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

दोषसिद्ध **अजय कुमार** को धारा–60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुये **जेल में बितायी गयी अवधि** एवं **अंकन 500/–(पांच सौ रूपये) रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे 03 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्ध द्वारा इस केस में जेल में बितायी गयी अवधि उसके दण्ड में समायोजित की जायेगी।

दोषसिद्ध का सजायावी वारण्ट बनाकर कर जिला कारागार रामपुर भेजा जाये।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाये।

बाद मियाद अपील बरामद माल मुकदमा नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

दिनांकः 21.05.2026

(डॉ० विजय कुमार)
(J.O.Code.UP2413)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 2, रामपुर

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 21.05.2026

(डॉ० विजय कुमार)
(J.O.Code.UP2413)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 2, रामपुर

Digitally signed by DR VIJAY KUMAR
Date: 2026.05.21 16:01:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court